प्रेस नोट- दिनांक 04.02.2024

षडयंत्र के तहत रेलवे ट्रैक पर मिले अज्ञात शव को आपराधिक मंशा से कूटचरित दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना पुत्र बताकर ले जाने वाले अभियुक्त सहित षडयंत्र में संलिप्त कुल 05 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.01.2024 को थाना फ्रैण्डस कालोनी क्षेत्रांतर्गत रेलवे ट्रैक के पास अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस द्वारा शव को कब्जे मे लेकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्यवाही हेतु अज्ञात शव होने के कारण अगले 72 घण्टे तक के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया तथा शव की शिनाख्त हेतु सोशल मीडिया पर फोटो प्रसारित कर एवं पंपलेट आदि छपवाकर शिनाख्त के प्रयास किये गये।

दिनांक 04.01.2024 को थाना फ्रेण्ड्स कालोनी इटावा में दीनदयाल पुत्र सुरेश कुमार, अभी कुमार निवासी आवास विकास कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा तथा एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त शव को दीनदयाल के पुत्र अतुल कुमार उम्र 26 वर्ष के रुप में पहचान की गयी उक्त शव को दीनदयाल उपरोक्त एवं अभी कुमार से तहरीर प्राप्त कर उन्हे सुपुर्द किया गया।

दिनांक 07.01.2024 को धर्मवीर राजपूत पुत्र रूपराम निवासी ग्राम तेज का पुरवा थाना अजीतमल जनपद औरैया द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त सन्दर्भित शव उसके भाई सत्यवीर पुत्र रूपराम का है, जो मानसिक रूप से कमजोर था। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच के दौरान थाना फ्रेंड्स कालोनी स्तर से शव ले जाने वाले दीनदयाल व अभी कुमार व अन्य के पते की जांच की गयी तथा अंकित मोबाइल नम्बर से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो सम्पर्क नहीं हो सका और अंकित पता 12 आवास विकास कालोनी इटावा असत्य पाया गया।

प्रथम दृष्टया अज्ञात शव को दीनदयाल उपरोक्त, अभी कुमार व उनके साथ एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा आपराधिक मंशा से उस अज्ञात व्यक्ति के शव को गलत पहचान के

साथ कूटरचित दस्तावेज आधार कार्ड को प्रस्तुत कर प्राप्त किया गया है जिसके संबंध में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर मु0अ0सं0 22/24 धारा 34/193/419/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरे चैकिंग , इलैक्ट्रिनक एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त हेतराम मित्तल पुत्र खजांची लाल निवासी रामलीला रोड थाना कोतवाली जनपद इटावा का नाम प्रकाश मे आया जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी।

<u>गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-</u>

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे आज दिनांक 04.02.2024 को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त हेतराम मित्तल टीबी अस्पताल के पास खडा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त हेतराम मित्तल को टीबी अस्पताल के पास से समय 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त हेतराम मित्तल पुत्र खजांची लाल से पूछताछ के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभी कुमार के रुप में बने मो0 फारुख पुत्र मो0 सब्बीर निवासी कटरा पुरदल खां थाना कोतवाली इटावा, दीनदयाल के रुप में बने व्यक्ति का वास्तविक नाम मो0 तसलीम पुत्र मो0 सहजादे निवासी साबितगंज थाना कोतवाली इटावा तथा अतुल कुमार के रुप में बने व्यक्ति का नाम मो0 फुरकान पुत्र मो0 सगीर निवासी शाहकमर थाना कोतवाली जनपद इटावा तथा मुस्कान कोष्ठा पुत्री नंदकिशोर निवासी महेरा चुंगी थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा को समय 14.20 बजे मोर्चरी मुख्य गेट इटावा से गिरफ्तार किया गया।

<u>पुलिस पूछताछः-</u>

गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि वह अपनी पत्नी से परेशान था तथा मुस्कान कोष्ठा पुत्री नन्द किशोर निवासी महेराचुंगी थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा से शादी करना चाहता था। करीब 04 -05 वर्ष पूर्व वह मुस्कान कोष्ठा के संपर्क में आया था। मुस्कान कोष्ठा के पिता द्वारा हेतराम मित्तल के विरुद्ध उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 162/2022 धारा 363/366/506 भादवि पंजीकृत कराया था जिससे बचने के लिए उसने मुस्कान कोष्ठा की शादी अतुल कुमार पुत्र दीनदयाल निवासी 512 आवास विकास कालोनी आजमगढ (पता आधार कार्ड में फर्जी रुप से संसोधित किया गया सही

पता 12 आवास विकास इटावा) से करायी थी। दोनो ने योजना बनाकर उक्त अज्ञात शव को अतुल कुमार के रूप मे पहचान कराते हुये उसका अन्तिम संस्कार कराया और योजना बनाई कि मुस्कान कोष्ठा के पिता नन्दकिशोर व माँ ज्योस्तना के विरुद्ध अतुल कुमार की हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर उन्हे जेल भिजवा देगे और दोनों शादी कर लेंगे।

उक्त अभियोग की विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आये कि अतुल कुमार नाम के किसी व्यक्ति का अस्तित्व ही नही है फुरकान पुत्र मो0 सगीर अहमद को अतुल कुमार के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनाकर आर्य समाज मंदिर व उच्च न्यायालय इलहाबाद के समक्ष फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर प्रस्तुत किया गया। दीन दयाल का वास्तविक नाम मो0 तस्लीम पुत्र मो0 सहजादे निवासी साबितगंज थाना कोतवाली इटावा व अभी कुमार का वास्तविक नाम मो0 फारुख पुत्र मो0 सब्बीर निवासी कटरा पुरदल खा कोतवाली इटावा है तथा अतुल कुमार के रुप में मो0 फुरकान पुत्र मो0 सगीर निवासी शाहकमर थाना कोतवाली जनपद इटावा का नाम प्रकाश में आया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 22/2024 धारा 34/193/419/467/468/471भादवि थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.हेतराम मित्तल पुत्र खजांची लाल निवासी खटखटा बाबा कालोनी थाना कोतवाली जनपद इटावा

2.मो0 फारुख पुत्र मो0 सब्बीर निवासी कटरा पुरदल खां थाना कोतवाली इटावा,

3.मो0 तसलीम पुत्र मो0 सहजादे निवासी साबितगंज थाना कोतवाली इटावा

4.मो0 फुरकान पुत्र मो0 सगीर निवासी शाहकमर थाना कोतवाली जनपद इटावा

5.मुस्कान कोष्ठा पुत्री नंदकिशोर निवासी महेरा चुंगी थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा

पुलिस टीमः- प्रथम उ0नि0 श्री जयप्रकाश यादव प्रभारी एसओजी, उ0नि0 नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलांस मय टीम।

द्वितीय- निरीक्षक श्री सुधीर सिंह प्रभारी थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, निरीक्षक अपराध श्री राम सहाय सिंह, उ0नि0 प्रेमचन्द, हे0का0 बबलू अली, क0ऑ0 भरत सिंह, का0 नवीन कुमार, का0 मोहित कुमार, का0 ओमप्रकाश, चालक का0 शशिकान्त।